रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2006/अग्रहायण 9, 1928

No. 571] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2006/AGRAHAYANA 9, 1928

कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 728(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 61) की धारा 26 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 2006 है ।

2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,—

(क) मद संख्या (ii) में, "उत्तरी पूर्वोत्तर परिक्षेत्र" से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, "अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(ख) मद संख्या (iv) में, "पूर्वोत्तर परिक्षेत्र" से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, "बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड राज्य और अंडमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

3. हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

4. उक्त निमय के नियम 39 में, "नियम 32 और 33" शब्द और अंकों के स्थान पर, "नियम 37 और नियम 38" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 4(26)/2006-केवीआई-I]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2006

G.S.R. 728(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 26 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Rules, 2006.

2. In the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rules 3,—

(a) in item number (ii), for the entries relating to "North-Eastern Zone", the entries "States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura", shall be substituted.

(b) in item number (iv), for the entries relating to "Eastern Zone", the entries "States of Bihar, Orissa, West Bengal, Jharkhand and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 22, in sub-rules 3, for the word "thing" the word "thinks" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 39, for the words and figures "rules 32 and 33", the words and figures "rules 37 and 38", shall be substituted.

[F. No. 4(26)/2006-KVI-I]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

3764 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.